(271)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ.5(2)न.वि.वि/3/97पार्ट जयपुर, दिनांक :– 26 NOV 2007

परिपत्र

विषय:– कृषि भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन दरों के संबंध में।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर जयपुर रीजन तथा अन्य क्षेत्रो के लिए कृषि भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण/नियमन दरें लागू करने हेतु विभिन्न परिपत्र जारी किए गये है, जिनमें जहॉं एक तरफ आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करवाया जाता है तो प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 40 प्रतिशत राशि नियमन हेतु वसूल की जाती है, जबकि इसकी तुलना में कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन करवाने पर यह दरें काफी कम है, जिसकी वजह से संबंधित स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार को आर्थिक हानि होती है एवं अधिकांश आवेदकों द्वारा पैरीफरीयल बैल्ट मे तथा जयपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी बडी तादाद में बडे रकबों के भूखण्डों का भी सीधे कृषि से व्यवसायिक रूपान्तरण करवाया जा रहा है।

अतः इस विषय में पूर्व में जारी परिपत्रों के आंशिक अधिक्रमण में उपरोक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए समस्त स्थानीय निकायों के आर्थिक हित में राजस्थान के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से सीधे ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ नियमन के पुराने एवं नये समस्त प्रकरणों में बिना किसी जोन के अन्तर के एकरूपता से निम्नानुसार नियमन राशि तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है :–

रुपये:	जयपुर क्षेत्र में जयपुर रीजन हेतु	संभागीय मुख्यालय वाले शहर (भरतपुर के अलावा)	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर	एक लाख से कम आबादी वाले समस्त नगरीय कस्बें
कृषि से वाणिज्यिक	400/–रू. प्रति वर्गगज	360/–रू. प्रति वर्गगज	320/–रू. प्रति वर्गगज	240/–रू. प्रति वर्गगज

27/11

(शिव कुमार अग्रवाल)
उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास.....................।
10. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव